

कार्तावरात्रकान्।त्राह्मकारीकारी, बन्नाह्मवर्ति। वन्नाव्यावानी, हव्हान्।

पत्र संख्या 344 | / |2-| दिनांक, हल्द्वानी,

02/0//2023

सेवा में.

वन संरक्षक.

पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषय :--Renewal of diversion of forest land 1497 ha of forest land favour of uttarakhand forest Devlopment corporation mining Division, Haldwani for collection of minor Minerals from Gaula river in Haldwani and Tarai east Forest Division, Disti Nainital (Uttarakhand)(Online proposal No. FP/Uk/149754/2021)-reg.

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून का पत्रांक—File No.8-16 संदर्भ :-/1999-FC(Pt.IV) dated: 14th December,2022...

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित के क्रम में भारत सरकार द्वारा 7 बिन्दुओं पर आपत्तियां लगायी गयी हैं। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने पत्रांक—1346 / 12—1 दिनांक—31.12.2022 से आपत्तियों का निराकरण कर इस कार्यालय को प्रेषित किया है। प्रयोक्ता अभिकरण की प्रति मुल में संलग्न है। (संलग्न-01)

क्र0	का प्राप्ति किया है। प्रयोक्ता अभिकरण की प्रति आपत्ति	
सं०	SHAKKI	उत्तर
i.	The State / UA has applied for the renewal of diversion of forest land for next 10 years hwoever, the mining plan has been approve upto February 2023 only. Further, the State has informed taht the mining plan is under process for approval for 5 years. In this regard, the approved mining plan for commensurate time period is required to be provided.	अनुमोदित / स्वीकृत माईनिंग प्लान वर्ष 2023—; हे से 2027—28 तक प्रेषित किया गया है, जो उट पत्र के साथ संलग्न है एवं परिवेश पोर्टल पार्ट— में भी अपलोड किया गया है।
ii.	KML files of the CA area measuring 250.0ha and 173.65 ha have not be submitted, which may be provided.	गये क्षतिपूरक वृक्षारोपण कुल 250.0 ha (तरा पूर्वी वन प्रभाग 160.00 है0, नैनीताल वन प्रभाग 90.00 है0) की KML Files की सी0डी0 संलग्न क प्रेषित है (संलग्न—02)। अवशेष 173.65 ha क्षतिपूरक वृक्षारोपण को कैम्पा योजना के वर्ष 2023—24 की वार्षिक कार्ययोजना में अग्रिम मृद कार्य हेतु प्रस्तावित किया जा रहा है। अर्थात 173.65 है0 वक्षारोपण क्षेत्र के KML हैं।
iii.	As per the DSS analysis Dogadi Block Plot-1B(12ha), Dogadi block Plot-1c(30ha), and Dogadi I Beat, Plot No.1B(9ha) are partially falling on the river bed. Therefore the Correct KML file of these CA areas may be provided.	में उपलब्ध किया जाना संभव नहीं है। उक्त बिन्दु के अनुपालन में सम्बन्धित वृक्षारोपण क्षेत्रों की KML Files की सी०डी० संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्न–03)
	These CA sites are found overlapping. and Chini 14, Plot 2(10ha), (2) Dogadi Block Plot&1b(12ha) and Dogadi I Beat, Plot NO. 1b	उक्त बिन्दु के अनुपालन में सम्बन्धित वृक्षारोपण क्षेत्रों की KML Files Online की सी0डी0 संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्न–04)
v.	as per the format prescribed in the FCA, Handbook of guidelines dated 28-03-2019.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संलग्न पत्रांक—1346/ 12—1 दिनांक—31.12.2022 एफ0सी0ए0 दिशानिर्देशों की पुस्तिका के अनुसार निर्धारित प्रारूप में Cost Benefit Analysis तैयार कर परिवेष पोर्टल में अपलोड किया जा चुका है एवं उक्त पत्र के साथ संलग्न भी किया गया है। (स्तान-05)

The State Govt has provided the survival percentage of various CA plantation which varies form 5-96%. The reasons/justification for the low survival percentage may be specified.

> Further the IRO has carried out the Site Inspection of CA sites in this case it has been observed that as per the report of IRO(copy enclosed) the area of Kot Kharra S.No. 81-77 is 16.0 ha whereas the state has mentioned the same to be 14.0ha only, which may be looked into and corrected.

As per the condition no.(ix) of the previous vii. approval the State Government was required to constitute a committee to review annually the status of compliance of the stipulated conditions and issue appropriate direction to the user agency in case of any deviation as well as any hazard due to non-removal of minor minerals from the protected corridor. The collection of miner minerals after 31st day of January in a year was to be allowed only after reciept of certificate from the Monitoring Committee that the conditions, stupulated in the approval accorded under the Forest (Conservation) Act, 1980 and the instructions issued by the Monitoring Committee have satisfactory been complied in collection of the minor minerals during the previous calendar year". The copy of notification of the said committee and action taken reports of the committee may be provided.

पूर्व में प्रेषित क्षतिपूरक वृक्षारोपण की सूची को पुनरीक्षित कर मानकों से कम सफलता प्रतिशत वक्षारोपण वाले क्षेत्रों के कारण/औचित्य संलग्न प्रारूप में प्रेषित (संलग्न-06)। ऑनलाईन पोर्टल परिवेश के पार्ट-2 के additional information में भी उक्त प्रारूप अनुसार सूची को अपलोड किया गया है।

प्रभाग स्तर पर संधारित अभिलेखों एवं वृक्षारोपण पंजिका अनुसार कोटखर्रा द०अ प्लाट संख्या 77, 80, 81 भाग का वास्तविक क्षेत्रफल 14.00 है0 है। संभवतः आई०आर०ओ० कार्यालय से लिपिकीय त्रुटिवश 14.00 है0 के स्थान पर 16.00 अंकित किया गया प्रतीत होता है।

भारत सरकार अनुमति संख्या—F.No-8-की 61/1999-FC, dated-23.01.2013 की शर्त संख्या—9 के अनुपालन में उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग की पत्र संख्या— 14-1/X-3-13-08(14)/2009, दि0 29.01.2013 द्वारा प्रमुख वन संरक्षक (Hoff) की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। अनुश्रवण समिति द्वारा उपरोक्त स्वीकृति आदेश दिनांक-23 जनवरी, 2013 में उल्लेखित शर्तों के अनुपालन के अनुश्रवण हेतु प्रत्येक वर्ष बैठक कर विगत कैलेण्डर वर्ष की समीक्षा की गयी है। वर्ष 2017 से 2022 तक अनुश्रवण समिति द्वारा जारी कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न है (संलग्न-07)

संलग्नः-उपरोक्तानुसार प्रस्ताव चार प्रतियों में।

(संदीप कुमार) प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

पत्रांक:-394/ / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून

मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड नैनीताल।

3. प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्डू वन विकास निगम, खनन गौला हल्द्वानी।

(संदेपि कुमार) प्रभागीय वनाधिकारी,

तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।